

चीफ वार्डन कार्यालय
एन० आई० टी० कुरुक्षेत्र

पत्र क्रमांक

मैसर्स _____

दिनांक 29-11-2024

निविदा सूचना


सभी पंजीकृत (Registered) सब्जी विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वे सलग्न आवेदन पत्र पर फलों व सब्जियों के लिए निविदा आवेदन दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में विक्रेता फर्म को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:-

1. इस निविदा (Quotation) में भाग लेने के लिए फल/सब्जी विक्रेता की दुकान/फर्म मंडी समिति में रजिस्टर्ड होनी चाहिए या उसके पास नगरपालिका/नगरपरिषद द्वारा दुकान चलाने का कोई प्रमाण होना चाहिए तथा उसके पास फल/सब्जी सप्लाई करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
 - 1.1 निविदा में भाग लेने के लिए फल/सब्जी विक्रेताओं को 50000/-रुपये का डिमांड ड्राफ्ट वार्डन अधिमन्त्र भवन होस्टल नं०-१ एन० आई० टी० कुरुक्षेत्र के नाम निविदा फर्म के साथ बयान राशि के तौर पर जमा कराना होगा। बिना डिमांड ड्राफ्ट के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
 - 1.2 जिस भी विक्रेता की निविदा सबसे कम होगी, सब्जी सप्लाई का आर्डर उसी विक्रेता को दिया जायेगा। हालांकि चीफ वार्डन/वैजीटेबल समिति परिस्थितियों एंव होस्टल की जरूरत के आधार पर सब्जी/फल सप्लाई का आर्डर कभी भी एक से ज्यादा विक्रेताओं को दे सकते हैं। इस परिस्थिति में जिस विक्रेता ने सब्जियों/फलों के कम मूल्य दिये हैं चीफ वार्डन/वैजीटेबल समिति उन विक्रेताओं की एक मीटिंग बुलाकर कुछ नियमों और शर्तों के आधार पर सब्जी/फल सप्लाई का आर्डर दे सकते हैं हालांकि मीटिंग में उतने ही विक्रेताओं को बुलाया जायेगा जितने विक्रेताओं की होस्टल को जरूरत होगी।
 - 1.3 निविदा खुलने के बाद जिन विक्रेताओं का चयन किया जाता है उनकी बयान राशि को जमानत राशि के तौर पर (खरीद आदेश में दी गई अवधि तक) रख लिया जाएगा और जिन विक्रेताओं को सब्जी/फल सप्लाई के लिए चयनित नहीं किया जाता है उनकी बयान राशि को निविदा खुलने के 10 दिन के अंदर वापस कर दिया जाएगा। जिस विक्रेता/विक्रेताओं को सब्जी/फल सप्लाई का आर्डर मिलेगा उनकी बयान राशि बिना ब्याज के सप्लाई आर्डर की अवधि के समाप्त होने के बाद 10 दिन के अंदर वापस कर दी जायेगी।
 - 1.4 यदि निविदा खुलने के बाद चयनित विक्रेता, सप्लाई करने से मना कर देता है तो उसकी बयान राशि को जब्त कर लिया जायेगा और उस फर्म को भविष्य की निविदा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस परिस्थिति में सब्जी/फल सप्लाई का आर्डर किस विक्रेता को देना है वैजीटेबल समिति/ चीफ वार्डन द्वारा तय किया जायेगा।
2. फल/सब्जियां ताजा व अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। फल/सब्जियों के वजन एंव गुणवत्ता का निरीक्षण समय-समय पर किया जाएगा व यदि इनमें कोई भी कमी पायी गयी तो उस दिन का सारा का सारा सामान विक्रेता को वापिस कर दिया जाएगा तथा विक्रेता को उसके बदले पुनः दूसरा सामान भेजना होगा या उस वस्तु का मूल्य नहीं दिया जाएगा एंव कम से कम रुपये 1500/- का जुर्माना भी किया जाएगा। यदि ये अनियमितताएं पुनः पायी गयी तो विक्रेता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
3. फल/सब्जियों के बिल समस्त विवरण के साथ प्रतिदिन विक्रेता को सम्बन्धित होस्टल में जमा कराने होंगे।

4. फल/सब्जियों की सप्लाई का देय-मूल्य सब्जी मंडी अधिकारी / थानेसर, लाडवा, पेहवा और शाहबाद मंडी की अधिकारिक वेबसाइट(<http://agmarknet.nic.in/agnew/NationalBEnglish/MarketwiseDailyReport7>) से जो औसत मूल्य निकाले जायेंगे, उनके औसत (AP) के आधार पर होगा।। उदाहरण के तौर पर यदि किसी सब्जी/फल का मूल्य थानेसर मंडी में W रूपये है (जहाँ W थानेसर मंडी का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य का औसत है), इसी तरह से लाडवा मंडी में X रूपये पेहवा मंडी में Y रूपये तथा शाहबाद मंडी में Z रूपये हैं तो वह सब्जी/फल का औसत मूल्य $AP = \frac{W+X+Y+Z}{4}$ होगा। यदि किसी मंडी में किसी वस्तु के मूल्य उपलब्ध नहीं हैं तो मान्य औसत उपलब्ध मंडी मूल्य के आधार पर गणना की जाएगी। जैसे की चार मंडियों में से किसी दिन के सिर्फ दो मंडियों के वस्तुओं के मूल्य उपलब्ध हैं तो औसत मूल्य $AP = \frac{X+Y}{2}$ होगा।
5. विक्रेता को खरीद आदेश (Supply Order) सब्जियों/फलों के औसत मूल्य (AP) के ऊपर उसके प्रतिशत कमीशन (जिसकी % कमीशन सबसे कम होगी) पर दिया जायेगा। यह ज्ञात रहे की कमीशन भरने की अधिकतम सीमा 20% है।
6. सभी विक्रेता फर्म को सब्जी एवं फलों की सप्लाई सभी होस्टलों में करनी होगी।
7. विक्रेता को बिलों का भुगतान प्रत्येक माह के आधार पर रेखांकित चैक द्वारा विक्रेता-फर्म के नाम से ही किया जाएगा।
8. किसी भी सब्जी/फल का सप्लाई आर्डर बिना कारण बताए किसी भी समय (एक सप्ताह के नोटिस के साथ) निरस्त करने का अधिकार चीफ वार्डन के पास होगा।
9. सभी मामलों में चीफ वार्डन एन० आई० टी० कुरुक्षेत्र का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
10. यदि विक्रेता फर्म फल/सब्जियों की सप्लाई करने में असमर्थ है तो उसे कम से कम एक महीने पहले नोटिस देना होगा। अन्यथा उसके समस्त पिछले बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा एवं उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और इसके साथ उस फर्म को भविष्य की निविदा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
11. सभी कमेटी किसी भी समय सब्जी मंडी में जा कर सब्जी की गुणवत्ता एवं मूल्यों को सत्यापित कर सकती है।
12. यदि किसी सब्जी अथवा फलों के मूल्य, मंडी की अधिकारिक वेबसाइट(<http://agmarknet.nic.in/agnew/NationalBEnglish/MarketwiseDailyReport7>) पर उपलब्ध नहीं हैं तो मंडी अधिकारी या पिछले दिन के उपलब्ध मूल्य में से जो भी कम होगा उन्हीं मूल्यों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
13. यह सप्लाई आर्डर समय से सप्लाई तथा होस्टल से प्राप्त संतोषजनक प्रतिक्रिया के आधार पर अधिकतम छह महीनों के लिए प्रभावी होगा। हांलाकि चीफ वार्डन की परमिशन से यह आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
14. अगर किसी भी विक्रेता फर्म को इस निविदा के नियमों और शर्तों से सम्बंधित कोई सवाल हो तो वह निविदा फार्म भरने से पहले दिनांक 05/12/2024 को 12:00 बजे चीफ वार्डन आंफिस एन० आई० टी० कुरुक्षेत्र में आ कर मिल सकता है।

सभी निविदा मुहरबन्द लिफाफों में दिनांक 18/12/2024 (साथं 5 बजे तक) रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित हो अपने हाथ से चीफ वार्डन आंफिस एन० आई० टी० कुरुक्षेत्र में पहुंच जानी चाहिए। सभी आवेदकों को अपने आवेदनों के साथ द्योषणा पत्र में यही लिखना होगा कि उन्हे टैंडर की सभी शर्तें मान्य हैं अन्यथा उनके आवेदन टैंडर निरस्त किए जा सकते हैं।


चीफ वार्डन (लडकियों के छात्रावास)


चीफ वार्डन (लडकों के छात्रावास)

(निविदा आवेदन प्रपत्र)

सेवा में

चीफ वार्डन

एन० आई० टी० कुरुक्षेत्रा

विषय:- फलो/सब्जियों के लिए निविदा/कोटेशन के बारे में ।

महोदय जी;

1. मैं/हम _____ आपको वे वस्तुएं आपके द्वारा मण्डी अधिकारी/ मण्डी की अधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त (प्रतिदिन की) हर एक वस्तु के औसत मूल्य (AP) से _____ % (कमीशन भरने की अधिकतम सीमा 20% है) लाभ लेकर आपके छात्रावासों में सप्लाई करूँगा/करेंगे। मैं/हम फल/सब्जियों को सप्लाई करने का कार्य पिछले _____ वर्षों से कर रहा हूँ तथा मेरी फर्म रजिस्टर्ड है/मेरे पास नगरपरिषद/नगरपालिका द्वारा सब्जी दुकान की फीस की रसीद संलग्न है। तथा मेरी फर्म/दुकान निम्नलिखित पते पर स्थित है।

पता _____

फोन/मोबाइल नं० _____

धन्यवाद

भवदीय

(हस्ताक्षर)

नोट:-

मैं/हम यह भी घोषित हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने टैंडर प्रपत्र की सभी शर्तों को पढ़ लिया है और मुझे टैंडर की सभी शर्तें मान्य हैं।
मैंने रुपये 50,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट नं० _____ इस आवेदन के साथ लगा दिया है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

मोहर

दिनांक:-

स्थान:-